

sions taken on them by Government is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3390/64]. Necessary steps are being taken to implement these decisions.

गाड़ी में स्त्री का शव

198.	श्री बागड़ी :
	श्री विधायक प्रसाद :
	श्री यशपाल सिंह :
	श्री हुकम चन्द्र कछुवाय :
	श्री राम सेवक :

श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्टूबर, 1964 को मध्य रेलवे के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर इटारसी-इलाहाबाद सवारी गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में एक 26 वर्षीय स्त्री का शव पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और उस का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सतना की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

रेलवे समय सारणी समिति

199.	श्री विभूति मिश्न :
	श्री क० ना० तिवारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे समय सारणी समिति संविहित समिति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे संविहित समिति बनाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे समय सारणी समितियों को सांविधिक निकाय बनाने का विचार नहीं है।

रेलवे बुक स्टाल

200 श्री विभूति मिश्न : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने सारे भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल चलाने का पूर्ण एकाधिकार एक ही फर्म अर्थात् मेसर्स ए० एच० ह्लीलर एण्ड संस को दे रखा है ; और

(ख) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों के बुक स्टालों पर एक फर्म के इस एकाधिकार को समाप्त करने की कोई योजना बना रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) किसी रेलवे के सभी स्टेशनों या उसके कुछ स्टेशनों पर बुक-स्टाल चलाने का जो अधिकार पहले केवल मेसर्स ए० एच० ह्लीलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड को दिया गया था, उसमें 1-8-1960 से संशोधन कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप (1) जिन स्टेशनों पर अभी बुक-स्टाल नहीं हैं वहां दूसरों को बुक-स्टाल खोलने और (2) जिन स्टेशनों पर मेसर्स ए० एच० ह्लीलर एण्ड कम्पनी के स्टाल हैं, वहां रामकृष्ण मिशन, गीता प्रेस जैसी निदिष्ट संस्थाओं की पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिए दूसरे स्टाल खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। इस प्रकार अब मेसर्स ए० एच० ह्लीलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड को स्टाल चलाने का एकाधिकार नहीं रहा। इस समय मेसर्स